मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 4/10.2014

क्रमांक एफ 16-16/2014/बी/ग्यारह मेसर्स ट्राइडेंट लि. का लगभग ` **1400** करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से बुधनी, जिला सीहोर में कम्पोजिट टेक्सटाइल प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स ट्राइडेंट लि. की परियोजना में बडी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को रोजगार के अवसर, वृहद निवेश, स्थानीय कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित कपास का उचित मूल्य प्राप्त होने, निर्यात की व्यापक संभावनाओं तथा प्रदेशमें टेक्सटाईल को फोकस सेक्टर का दर्जा दिये जाने के दृष्टिगत परियोजना का निम्नानुसार विशेष सुविधाएं दी जावें:-

1. मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड में अमलगमेशन के फलस्वरूप ट्राइडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व की लगभग 620.98 एकड़ भूमि को मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित करने पर प्रभार्य स्टांप ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान की जावे।

2. **प्रवेश कर से छूट-** उद्योग संवर्धन नीति, 2010 अंतर्गत प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्ष के लिए एवं प्रस्तावित औद्योगिकी इकाई में 1000 से अधिक व्यक्तियों को नियमित रोजागार दिया जाता है तथा नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की संख्या 90 प्रतिशत से अधिक रहती है तो परियोजना को अतिरिक्त 2 वर्ष के लिए प्रवेश कर से मुक्ति की सुविधा निर्धारित शर्तों के अध्याधीन दी जावे।
3. ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को सम्पत्ति कर/विकास व्यय तथा अन्य करों के युक्तियुक्तकरण हेतु 3 माह के अन्दर विचार कर निर्णय लेने का परामर्श दिया जावे।
4. इकाई में विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत विद्युत भार में विस्तार को नवीन संयोजन मान्य करते हुए ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में किए गए प्रावधान अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी जावे।
5. केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित विद्युत के उपयोग पर विद्युत शुल्क से 10 वर्षों हेतु छूट प्रदान की जावे। व्हीलिंग चार्ज से छूट संबंधी मांग को अमान्य किया जावे।

6. टेक्सटाईल परियोजनाओं के लिए घोषित विशेष पुनरीक्षित पैकेज, 2012 का लाभ प्रदान किया जावे।
7. मूलभूत अधोसंरचना जैसे जल प्रदाय एवं एफ्लूयेंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था तथा सामाजिक अधोसंरचना जैसे कर्मचारी आवास, अस्पताल, स्कूल, प्रशिक्षण केन्द्र, विश्रामगृह आदि विकसित करने के लिए शासकीय भूमि की उपलब्धता ज्ञात कर आवश्यकता अनुसार भूमि का परिमाण आंकलित करने के पश्चात् समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
8. रेलवे स्टेशन बुधनी में परिवहन हेतु रेलवे साईडिंग के विकास हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता ज्ञात कर इंडियन रेलवे से परामर्श उपरान्त भूमि का परिमाण आंकलित कर आवश्यकता अनुसार भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।
9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-16/2014/बी/ग्यारह
भोपाल, दिनांक 4/ 10.2014

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग/ राजस्व विभाग/ ऊर्जा विभाग/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि, भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ।
6. कलेक्टर, सीहोर।
7. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल ।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम .लि (भोपाल), भोपाल ।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीहोर।

10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स ट्राइडेन्ट कॉर्पोरेशन लि., होशंगाबाद रोड, बुदनी जिला सीहोर। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेष करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग